President may, by notification, authorise one of the Members to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, such one of the Members as the President may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

[1][***8. Terms and conditions of service of Chairperson and Members***

The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.]

9. Vacancies, etc., not to invalidate the proceedings of the Commission

No act or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

10. Procedure to be regulated by the Commission

(1) The Commission shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.

[2][(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Commission shall have the power to lay down by regulations its own procedure.]

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006, s.7, for section(8) (w.e.f. 23.11.2006).

[2] Subs. by s.8, ibid, for sub-section (2)(w.e.f. 23.11.2006).

को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[1][*8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें*

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

[2][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।]

---

[1] 2006 के अ.सं. 43 की धारा 7 के खण्ड (8) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

[2] 2006 के अ.सं. 43 की धारा 8 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary-General or any other officer of the Commission duly authorised by the Chairperson in this behalf.

11. Officers and other staff of the Commission

(1) The Central Government shall make available to the Commission:

(a) an officer of the rank of the Secretary to the Government of India who shall be the Secretary-General of the Commission; and

(b) such police and investigative staff under an officer not below the rank of a Director General of Police and such other officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) Subject to such rules as may be made by the Central Government in this behalf, the Commission may appoint such other administrative, technical and scientific staff as it may consider necessary.

(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द

(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को

(क) भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक के पद से कम का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

CHAPTER III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

12. Functions of the Commission

The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

(a) inquire, suo motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf[1] [or on a direction or order of any court], into complaint of

(i) violation of human rights or abetment thereof; or

(ii) negligence in the prevention of such violation,

by a public servant;

(b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court;

[2][(c) visit, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government;]

(d) review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;

(e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures;

---

[1] Inserted by Act 43 of 2006, s.9, (w.e.f. 23.11.2006)

[2] Subs. by s.9, ibid, for clause(c)(w.e.f. 23.11.2006).

अध्याय III

आयोग के कार्य और शक्तियां

12. *आयोग के कार्य*

आयोग निम्नलिखित सभी या कुछ कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात:–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा [1][या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर–

(i) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुष्प्रेषण किए जाने की; या

(ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की, शिकायत के बारे में जांच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

[2][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;]

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यन्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

---

[1] 2006 के अ.सं. 43 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित।

[2] 2006 के अ,सं. 43 की धारा 9 के खण्ड (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(f) study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation;

(g) undertake and promote research in the field of human rights;

(h) spread human rights literacy among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;

(i) encourage the efforts of non-governmental organisations and institutions working in the field of human rights;

(j) such other functions as it may consider necessary for the protection of human rights.

13. Powers relating to inquiries

(1) The Commission shall, while inquiring into complaints under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, and in particular in respect of the following matters, namely :

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;

(b) discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have power to require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry and any person so required shall be deemed

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

13. जांच से संबंधित शक्तियां

(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है; अर्थात्:–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इतिला करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता

to be legally bound to furnish such information within the meaning of section 176 and section 177 of the Indian Penal Code.

(3) The Commission or any other officer, not below the rank of a Gazetted Officer, specially authorised in this behalf by the Commission may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts or copies therefrom subject to the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in so far as it may be applicable.

(4) The Commission shall be deemed to be a civil court and when any offence as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1973, forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same and the Magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case has been forwarded to him under section 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(5) Every proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code, and the Commission shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

[1][(6) Where the Commission considers it necessary or expedient so to do, it may, by order, transfer any complaint filed or pending before it to the State Commission of the State from which the complaint arises, for disposal in accordance with the provisions of this Act;

Provided that no such complaint shall be transferred unless the same is one respecting which the State Commission has jurisdiction to entertain the same.

---

[1] Inserted by Act 43 of 2006, s.10, (w.e.f. 23.11.2006).

की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

[1][(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लम्बित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा;

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

[1] 2006 के अ.सं. 43 के खण्ड 10 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

(7) Every complaint transferred under sub-section(6) shall be dealt with and disposed of by the State Commission as if it were a complaint initially filed before it.]

14. Investigation

(1) The Commission may, for the purpose of conducting any investigation pertaining to the inquiry, utilise the services of any officer or investigation agency of the Central Government or any State Government with the concurrence of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(2) For the purpose of investigating into any matter pertaining to the inquiry, any officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) may, subject to the direction and control of the Commission:-

(a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;

(b) require the discovery and production of any document; and

(c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The provisions of section 15 shall apply in relation to any statement made by a person before any officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) as they apply in relation to any statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission.

(4) The officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) shall investigate into any matter pertaining to the inquiry and submit a report thereon to the Commission within such period as may be specified by the Commission in this behalf.

(5) The Commission shall satisfy itself about the correctness of the facts stated and the conclusion, if any, arrived at in the report submitted to it under sub-section (4) and for this purpose the Commission may make such inquiry (including the examination of the person or persons who conducted or assisted in the investigation) as it thinks fit.

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।]

14. अन्वेषण

(1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए:–

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

15. Statement made by persons to the Commission

No statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission shall subject him to, or be used against him in, any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement:

Provided that the statement:-

(a) is made in reply to the question which he is required by the Commission to answer; or

(b) is relevant to the subject matter of the inquiry.

16. Persons likely to be prejudicially affected to be heard

If, at any stage of the inquiry, the Commission:-

(a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person; or

(b) is of the opinion that the reputation of any person is likely to be prejudicially affected by the inquiry;

it shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defence:

Provided that nothing in this section shall apply where the credit of a witness is being impeached.

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन:–

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है

यदि जांच के किसी अनुक्रम में:–

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है;

या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

CHAPTER IV

PROCEDURE

17. Inquiry into complaints

The Commission while inquiring into the complaints of violations of human rights may–

(i) call for information or report from the Central Government or any State Government or any other authority or organisation subordinate thereto within such time as may be specified by it:-

Provided that–

(a) if the information or report is not received within the time stipulated by the Commission, it may proceed to inquire into the complaint on its own;

(b) if, on receipt of information or report, the Commission is satisfied either that no further inquiry is required or that the required action has been initiated or taken by the concerned Government or authority, it may not proceed with the complaint and inform the complainant accordingly;

(ii) without prejudice to anything contained in clause (i), if it considers necessary, having regard to the nature of the complaint, initiate an inquiry.

[1][*18. Steps during and after inquiry*

The Commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry held under this Act, namely:-

(a) where the inquiry discloses the commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights or abetment thereof by a public servant, it may recommend to the concerned Government or authority –

(i) to make payment of compensation or damages to the complainant

[1] Subs. by Act 43 of 2006 s.11, for section 18 (w.e.f. 23.11.2006).

अध्याय IV

प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच

आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय–

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगाः–

परन्तु–

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

1[*18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई*

आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के उल्लंघन का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित संरकार या प्राधिकारी को–

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को

---

[1] 2006 के अ.सं. 43 द्वारा की धारा 11 के खण्ड 18 प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

or to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary;

(ii) to initiate proceedings for prosecution or such other suitable action as the Commission may deem fit against the concerned person or persons;

(iii) to take such further action as it may think fit;

(b) approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary;

(c) recommend to the concerned Government or authority at any stage of the inquiry for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary;

(d) subject to the provisions of clause (e), provide a copy of the inquiry report to the petitioner or his representative;

(e) the Commission shall send a copy of its inquiry report together with its recommendations to the concerned Government or authority and the concerned Government or authority shall, within a period of one month, or such further time as the Commission may allow, forward its comments on the report, including the action taken or proposed to be taken thereon, to the Commission;

(f) the Commission shall publish its inquiry report together with the comments of the concerned Government or authority, if any, and the action taken or proposed to be taken by the concerned Government or authority on the recommendations of the Commission.]

19. Procedure with respect to armed forces

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, while dealing with complaints of violation of human rights by members of the armed forces, the Commission shall adopt the following procedure, namely :-

(a) it may, either on its own motion or on receipt of a petition, seek a report from the Central Government;

ऐसा प्रतिकार या नुकसान की भरपाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खण्ड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका–टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।]

19. सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया

(1) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्:–

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(b) after the receipt of the report, it may, either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to that Government.

(2) The Central Government shall inform the Commission of the action taken on the recommendations within three months or such further time as the Commission may allow.

(3) The Commission shall publish its report together with its recommendations made to the Central Government and the action taken by that Government on such recommendations.

(4) The Commission shall provide a copy of the report published under sub-section (3) to the petitioner or his representative.

20. Annual and special reports of the Commission

(1) The Commission shall submit an annual report to the Central Government and to the State Government concerned and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of the annual report.

(2) The Central Government and the State Government, as the case may be, shall cause the annual and special reports of the Commission to be laid before each House of Parliament or the State Legislature respectively, as the case may be, along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any.

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें

(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।